REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUB REGISTRAR, KUMHER
KUMHER
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No. : 2013000205 Dated : 05/02/2013
Presenter Name : E.O. NAGAR PALIKA KUMHER Face Value : 55900
Presenter Address : KUMHER
Document Type : Lease deed for local bodies (Patta)
Claimant Name : SHRI RATAN SINGH SHIKSHAN PRAKSHIKAN SANTHAN SEC. HARIOM, KUMHER
Document S.No. : 2013000387 Stamp Value : 0

Ordinary Registration Fee	: 560	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 300	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandom u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 2800
Surcharge on Stamp Duty	: 280		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 3940

Amount Rs. Three Thousand Nine Hundred Forty only

Cashier

Sub Registrar, KUMHER

उप पंजीयक
कुम्हेर (भरतपुर) राज

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, कुम्हेर (भरतपुर)

(नगर निकाय का नाम)

क्रमांक ..... दिनांक.....

राजस्थान नगरिय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और) 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष.....के माह.....के .....वे दिन नगर पालिका मण्डल कुम्हेर (जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर सम्वोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री .....पुत्र श्री..... जाति.....व्यवसाय.....निवासी.....(जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबादत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक प्रबंधक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होगें ।) के मध्य निष्पादित हुआ है ।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई और इसमें उल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगे के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना.....राजस्व ग्राम.....के खसरा संख्या.....क्षेत्रफल.....में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अर्न्तगत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसके संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है । और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग उपभोग और इस्तेमाल के लिये अपने अधिकार में रखेगा अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अर्न्तगत निर्धारित किये गये नगरिय निर्धारण (शहरी जमाबंदी या भूमि का किराया) के तौर रूपये.....अंकेन.....मात्र पेशगी अदा करेगा परन्तु लीजधारक यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा जो उस वर्ष जिसमें राशि जमा कराई जाती है को सम्मलित करते हुये पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बरावर होगी और इस प्रकार जमा कराई गई नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
2. एक बार नियत किया गया नगरिय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 बर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी ।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिये होगे ।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल.....प्रयोजन जिसके लिये नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अर्न्तगत अनुमति दी गई के लिये किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा ।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 बर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अर्न्तगत बढा दी जावें लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जावेगा ।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरिक या उप-पट्टे पर दे सकेगा । उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्ते और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित अन्तरिति या उप-पटटेदार पर इस प्रकार लागू होगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरिम किया गया है लीजधारक द्वारा उप पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी । किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी । उप पट्टे उक्त नियमों में विहिप समस्त अन्य निबंधनों निमित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये शासित होगें ।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिये नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जावेगें ।प्रत्येक अन्तरण के लिये आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोइ फीस प्रभारित नहीं की जायेगी ।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक / बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीज धारक से वसूलीय होगा ।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनो और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेगे और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिये दायी नही होगा ।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार / जीवन बीमा निगम / शिड्यूल्ड बैंक / सरकार ऋणदात्री संस्था/ एच.डी.एफ.सी अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत के ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिये बंधक रखा जा सकेगा ।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम.....
राजस्व ग्राम.....
खसरा नम्बर.....
योजना का नाम.....
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर.....
.....

पूर्व.....पश्चिम.....भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो.....सीमा उत्तर.....दक्षिण
.....मानचित्र संलग्न है ।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है ।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20.....के माह.....क.....वें
दिन श्री .....
.....ने निम्न की उपस्थिति में
(स्थान) हस्ताक्षर किये -

नगरनिकाय - प्रथम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

साक्षी :-

1 नाम.....
पुत्र.....
व्यवसाय.....
निवास स्थान.....

.....
साक्षी

2 नाम.....
पुत्र.....
व्यवसाय.....
निवास स्थान.....

.....
साक्षी

आज सन् 20.....के माह.....के.....
वें दिन को निम्न की उपस्थिति में उक्त श्री.....
.....
लीजधारक द्वारा कार्यालय.....में हस्ताक्षर किये गये -

.....
लीज धारक - द्वितीय पक्ष

1 **साक्षी :-**
नाम.....
पुत्र.....
व्यवसाय.....
निवास स्थान.....

.....
साक्षी

2 नाम.....
पुत्र.....
व्यवसाय.....
निवास स्थान.....

.....
साक्षी

अध्यक्ष
नगरपालिका कुम्हेर (भरतपुर)

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका कुम्हेर (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

	हस्ताक्षर	फोटो	अंगूठा
उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant) 1-E.O. NAGAR PALIKA KUMHER/A Age:0, Caste- Ocu.-G R/O-KUMHER			
(And Claimant) 1-SHRI RATAN SINGH SHIKSHAN PRAKSHIKAN SANTHAN SEC. HARIOM/AMAR SINGH Age:0, Caste-JAT Ocu.-G R/O-KUMHER			

ने लेखपत्र Lease deed for local bodies (Patta)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 55900/– पूर्व में/मेरे
समक्ष/ये सें रू0 55000/–पूर्व में ——————
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री / श्रीमती / सुश्री KRISHAN KUMAR
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री GIVIND SINGH उम्र 0 वर्ष
जाति JAT व्यवसाय FARMER
निवासी KUMHER

2. श्री / श्रीमती / सुश्री KHUMENDRA GARG
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री SEETARAM GARG उम्र 0 वर्ष
जाति VAISHY व्यवसाय FARMER
निवासी KUMHER ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2013000387) उप पंजीयक, KUMHER
(Lease deed for local bodies (Patta))

Scanned with OKEN Scanner

आज दिनांक 5 माह February सन् 2013 को 16:29 बजे
श्री / श्रीमती / सुश्री E.O. NAGAR PALIKA KUMHER पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री A
उम्र 0 वर्ष जाति _____ व्यवसाय G
निवासी KUMHER
के समक्ष दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2013000387)
(Lease deed for local bodies (Patta))

हस्ताक्षर उप पंजीयक, KUMHER

रसीद नं0 2013000205 दिनांक 05/02/2013
पंजीयन शुल्क रू0 500/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 300/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 280/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 2800/-
कुल योग रू0 3940/-

(2013000387)
(Lease deed for local bodies (Patta))

उप पंजीयक, KUMHER

Scanned with OKEN Scanner

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय-पत्र
की मालियत रूपये 55900
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 2800 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 560 कुल रूपये 3940
जरिये रसीद संख्या 20130000205 दिनांक 05/02/2013
में जमा किया गया है।
अतः दस्तावेज को रूपये 2800
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2013000387) उप पंजीयक, KUMHER
(Lease deed for local bodies (Patta))

आज दिनांक 05/02/2013 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 405
में पृष्ठ संख्या 153 क्रम संख्या 2013000320 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1010
के पृष्ठ संख्या 13 से 18 पर
चस्पा किया गया।

(2013000387) उप पंजीयक, KUMHER
(Lease deed for local bodies (Patta))

Scanned with OKEN Scanner

नक्शा भूमि रूपान्तरण पट्टा हेतु सचिव श्री हरिओम श्री रतनसिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान कस्बा कुम्हेर जिला भरतपुर राज.

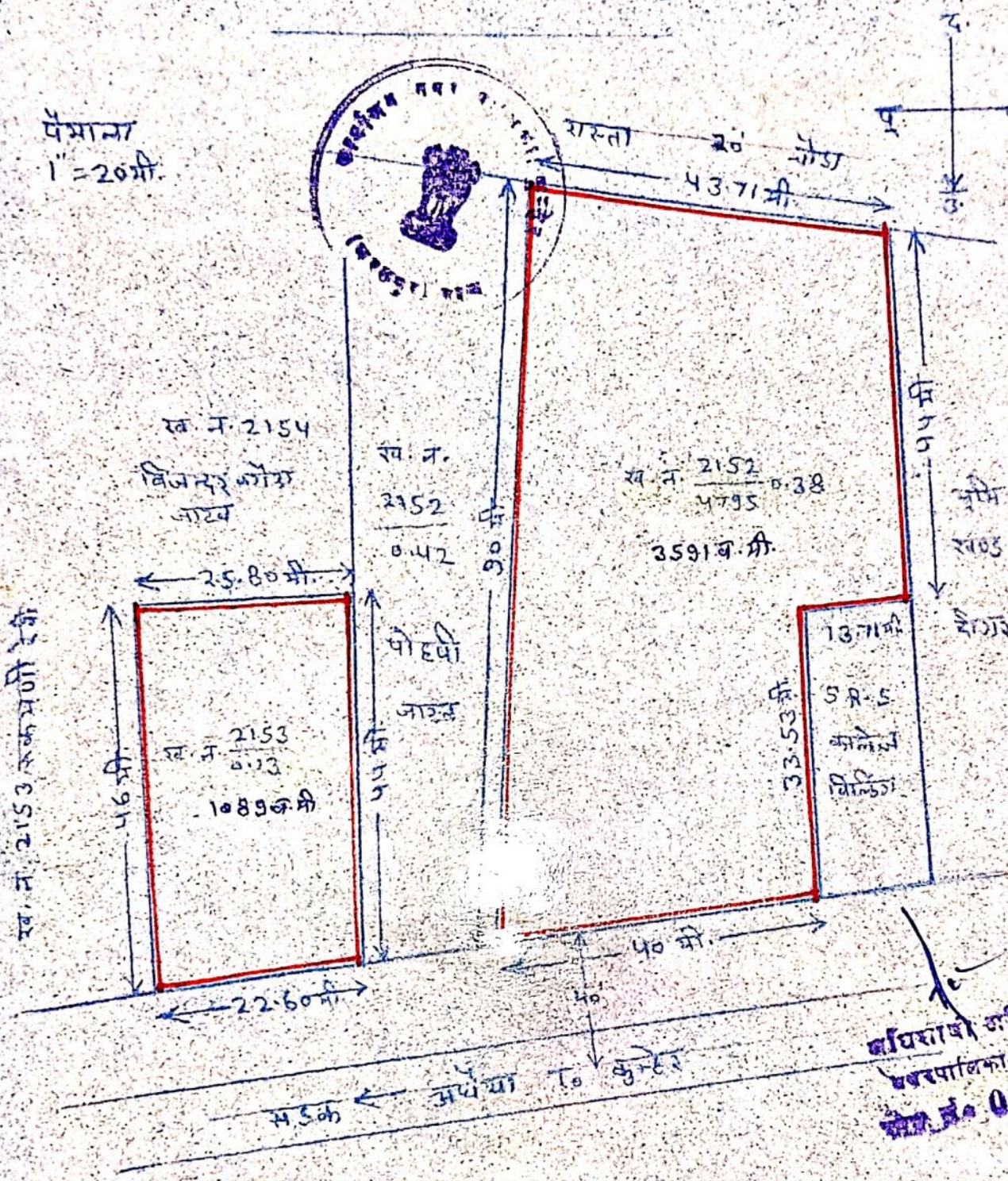

नोट — सुर्ख रंग से सीमित भूमि खण्ड पट्टा हेतु दर्शाये गये है / 5590 व.ग.

हस्ता. सचिव
श्री रतनसिंह शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
कुम्हेर (भरतपुर)

अधि. अधिशाषी अधिकारी
29-01-2013
DRAWN BY

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका, कुम्हेर
नोट सं. 06/

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUB REGISTRAR, KUMHER
KUMHER
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

. : 2013000094
Name : E.O.NAGAR PALIKA KUMHER
Address : KUMHER
ype : Lease deed for local bodies (Patta)
ame : HARIOM SACHIV RATAN SINGH EDUCATION DEPARTMENT , KUMHER
.No. : 2013000140

Dated : 11/01/2013
Face Value : 15707
Stamp Value : 0

egistration Fee	: 160	Commission Fee	: 0
ing/Inspection Fee	: 200	Custody Fee	: 0
morandom u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 790
on Stamp Duty	: 80		
/s 25-34	: 0		

TOTAL : 1230

Rs. One Thousand Two Hundred Thirty only

कार्यपालक
कुमेर (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय नगर पालिका मण्डल, कुम्हेर (भरतपुर) राज0

क्रमांक (नगर निकाय का नाम) दिनांक.....

राजस्थान नगरिय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष.....के माह.....के .....वे दिन नगर पालिका मण्डल कुम्हेर (जिन्हे इसके बाद नगर निकाय कहकर सम्वोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री .....पुत्र श्री..... जाति.....व्यवसाय.....निवासी.....(जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबादत में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक प्रबंधक, प्रतिनिधि मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होगें ।) के मध्य निष्पादित हुआ है ।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम तथा विकास शुल्क की रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई और इसमें उल्लेखित शर्तो और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगे के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिसे इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना.....राजस्व ग्राम.....के खसरा संख्या.....क्षेत्रफल.....में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अर्न्तगत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसके संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है । और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों संरक्षणों, प्रतिबंधों, बंधनों, शर्तें और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग उपभोग और इस्तेमाल के लिये अपने अधिकार में रखेगा अर्थात :-

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय-समय पर इस हेतु नियत कर दें प्रत्येक वर्ष अप्रेल के प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप-नियम (1) के अर्न्तगत निर्धारित किये गये नगरिय निर्धारण (शहरी जमाबंदी या भूमि का किराया) के तौर रूपये.....अंकेन.....मात्र पेशगी अदा करेगा परन्तु लीजधारक यदि चाहे तो एक बारीय नगरीय निर्धारण शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा जो उस वर्ष जिसमें राशि जमा कराई जाती है को सम्मलित करते हुये पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण की राशि के आठ गुणा के बराबर होगी और इस प्रकार जमा कराई गई नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।
2. एक बार नियत किया गया नगरिय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 बर्ष के पश्चात और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी ।
3. पट्टे की अवधि :- पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिये होगे ।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल.....प्रयोजन जिसके लिये नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अर्न्तगत अनुमति दी गई के लिये किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जायेगा ।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 बर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम-26 के अर्न्तगत बढा दी जावें लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जावेगा ।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरिक या उप-पट्टे पर दे सकेगा । उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्ते और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित अन्तरिति या उप-पटटेदार पर इस प्रकार लागू होगे मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरिम किया गया है लीजधारक द्वारा उप पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी । किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी । उप पट्टे उक्त नियमों में विहिप समस्त अन्य निबंधनों निमित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जाये शासित होगें ।
7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिये नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जावेगें ।प्रत्येक अन्तरण के लिये आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामले में इस नियम के अधीन कोइ फीस प्रभारित नहीं की जायेगी ।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज आन्तरिक / बाह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अधीन भू-राजस्व की बकाया के रूप में लीज धारक से वसूलीय होगा ।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लंघन में कपटपूर्ण दस्तावेज के आधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनो और शर्तो का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेगे और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसानी के लिये दायी नही होगा ।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार / जीवन बीमा निगम / शिड्यूल्ड बैंक / सरकार ऋणदात्री संस्था/ एच.डी.एफ.सी अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत के ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिये बंधक रखा जा सकेगा ।

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट

कस्बे का नाम.....कुम्हेर.....
राजस्व ग्राम.....कुम्हेर.....
खसरा नम्बर.....2152.....
योजना का नाम.....
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर.....
.....

पूर्व.....110.....पश्चिम.....110 फुट.....भूखण्ड की संख्या यदि कोई हो.....सीमा उत्तर.....35 फुट.....दक्षिण .....35 फुट.....मानचित्र सलंग्न है ।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने अपने हस्ताक्षर कर दिये है ।

नगरीय निकाय की ओर से

आज सन् 20.....के माह.....क.....वें दिन श्री .....
.....निम्न की उपस्थिति में
.....किये -

.....
.....
.....
.....

.....
साक्षी

.....
.....
.....
निवास स्थान.....

.....
साक्षी

आज सन् 20.....के माह.....के.....
वें दिन को निम्न की उपस्थिति में उक्त श्री.....
.....
लीजधारक द्वारा कार्यालय.....में हस्ताक्षर किये गये -

.....
लीज धारक - द्वितीय पक्ष

1 साक्षी :-
नाम.....भरतलाल.....
पुत्र.....बालकिशन.....
व्यवसाय.....
निवास स्थान.....कुम्हेर.....

.....
साक्षी

2 नाम.....अमरसिंह.....
पुत्र.....रतनसिंह.....
व्यवसाय.....
निवास स्थान.....कुम्हेर.....

.....
साक्षी

नगरनिकाय - प्रथम पक्ष
(सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एवं मोहर)

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, कुम्हेर
(भरतपुर) 321202

अध्यक्ष
नगरपालिका कुम्हेर (भरतपुर)

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका कुम्हेर (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

आज दिनांक 11 माह January सन् 2013 को 17:33 बजे
श्री / श्रीमती / सुश्री E.O. NAGAR PALIKA KUMHER पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री A
उम्र 0 वर्ष, जाति _____ व्यवसाय G
निवासी KUMHER
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, KUMHER
(2013000141)
(Lease deed for local bodies (Patta))

रसीद नं0 2013000095 दिनांक 11/01/2013
पंजीयन शुल्क रू0 4700/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 300/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 2350/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 23490/-
कुल योग रू0 30840/-

(2013000141) उप पंजीयक, KUMHER
(Lease deed for local bodies (Patta))

Scanned with OKEN Scanner

	हस्ताक्षर	फोटो	अंगूठा
उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant) 1-E.O.NAGAR PALIKA KUMHER/A Age:0, Caste- Ocu.-G R/O-KUMHER			
(And Claimant) 1-HARIOM SACHIV RATAN SINGH EDUCATION DEPARTMENT /A Age:0, Caste- Ocu.- R/O-KUMHER			
ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 15707 / – पूर्व में / मेरे समक्ष / मे सें रू0 15707 / –पूर्व में ———— यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।			
उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान 1. श्री / श्रीमती / सुश्री BHARATLAL पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री BALKISHAN उम्र 0 वर्ष जाति व्यवसाय FARMER निवासी KUMHER			
2. श्री / श्रीमती / सुश्री AMAR SINGH पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री RATAN SINGH उम्र 0 वर्ष जाति व्यवसाय FARMER निवासी KUMHER ने की है जिनके			
समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।			
(2013000140) उप पंजीयक, KUMHER (Lease deed for local bodies (Patta))			

Scanned with OKEN Scanner

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 469807
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 23490 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 4700 कुल रूपये 30840
जरिये रसीद संख्या 2013000095 दिनांक 11/01/2013
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 23490
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2013000141) उप पंजीयक, KUMHER
(Lease deed for local bodies (Patta))

आज दिनांक 11/01/2013 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 404
में पृष्ठ संख्या 156 क्रम संख्या 2013000123 पर
पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1006
के पृष्ठ संख्या 15 से 20 पर
चस्पा किया गया।

(2013000141) उप पंजीयक, KUMHER
(Lease deed for local bodies (Patta))

Scanned with OKEN Scanner

नक्शा भूमि खण्ड पट्टा हेतु - श्री रतनसिंह शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थान वाके अर्थैया रोड कस्बा कुम्हेर जिला भरतपुर राज.

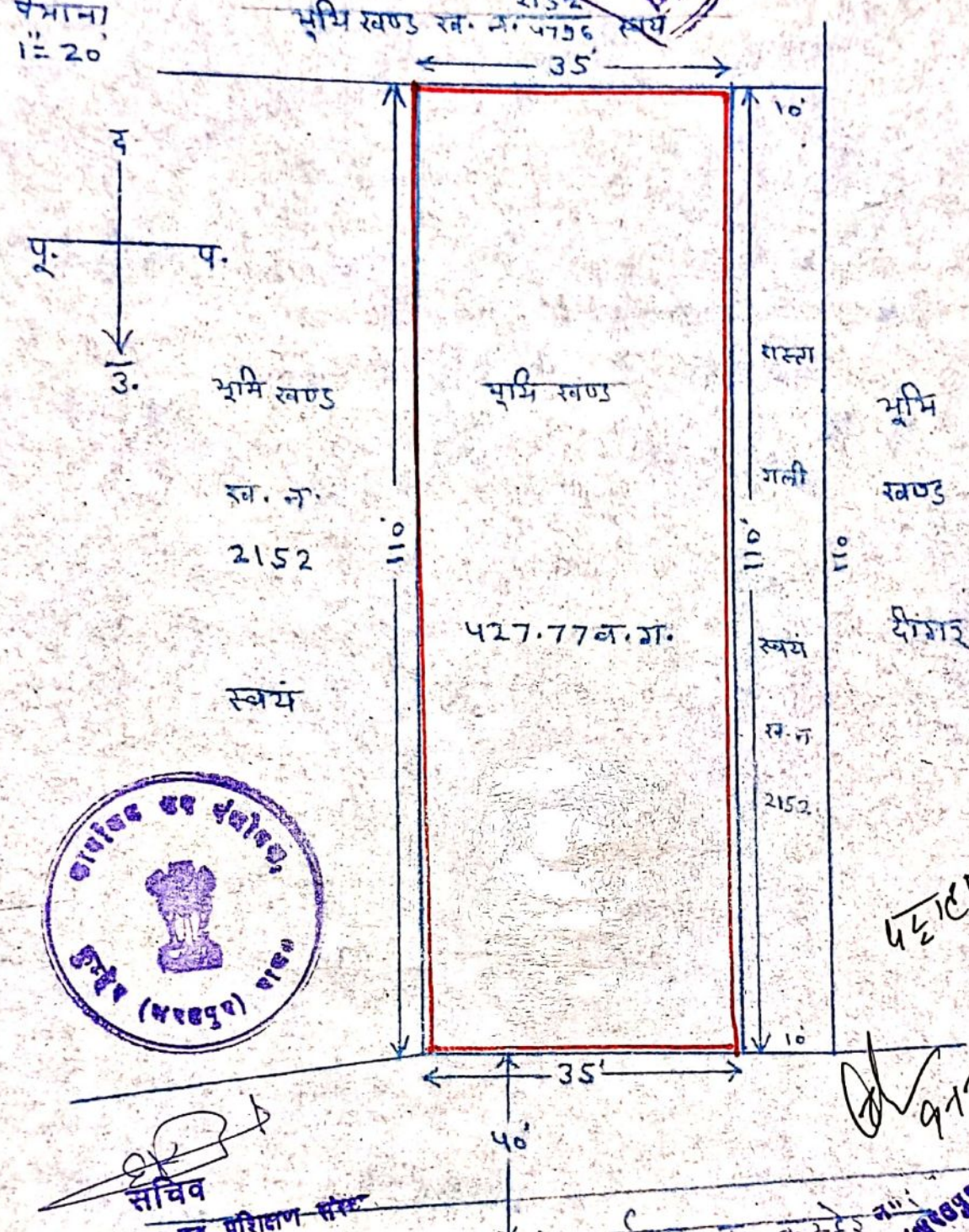

सचिव
श्री रतनसिंह शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
कुम्हेर (भरतपुर)

नोट- नक्शा सचिव हरिओम के बताये अनुसार कटीद किया गया है।
सुर्ख रंग से सीमित भूमि खण्ड श्री रतनसिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान हेतु दरशाया गया है।

हस्ता.

23-11-2012

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUB REGISTRAR, KUMHER
KUMHER
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No.	: 2013000111	Dated	: 16/01/2013
Presenter Name	: AMAR SINGH	Face Value	: 280000
Presenter Address	: SORUTA		
Document Type	: Sale Deed (Conveyance deed)		
Claimant Name	: RATAN SINGHSHIKSHAN PRISHIKSHAN SANSTHAN HARIOM SINGH, KUMHER		
Document S.No.	: 2013000189	Stamp Value	: 14400

Ordinary Registration Fee	: 2890	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 300	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandom u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 40
Surcharge on Stamp Duty	: 1450		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 4680

Amount Rs. Four Thousand Six Hundred Eighty only

Cashier

Sub Registrar, KUMHER

Scanned with OKEN Scanner

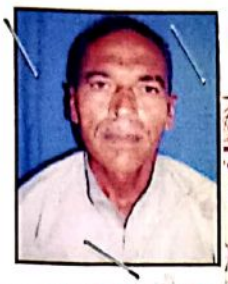

भारतीय

एक सौ रुपये 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

:: जय श्री राम ::

R 842115

:: वयनामा ::

1. मैं कि अमरसिहं उम्र 68 साल पुत्र श्री रतनसिहं कौम फौजदार साकिन ग्राम
2. सूरौता तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर राज0 का हूँ। जो कि मिनमुकर बाकै
3. ग्राम चक लुचपुरी तहसील कुम्हेर स्थित आराजी खसरा नम्बर 71 रकवा
4. 0.33 हैक्टै0 किस्म बा.प्र. में सम्पूर्ण भाग का खातेदार काश्तकार दर्ज
5. रिकार्ड काबिज हूँ और रकवा खुद कब्जे काश्त में है जिसे रहन वय मुन्त-
6. किल करने के पूर्ण अधिकार मुझ मिनमुकर को प्राप्त हैं। चूँकि अब मुझ -
7. मिनमुकर को वास्ते घर खर्च व दीगर इखराजात रूपयों की सख्त आवश्यकता
8. है। इसलिए मुझ मिनमुकर ने उपरोक्त लिखित आराजी खसरा नम्बर 71
9. रकवा 0.33 हैक्टै0 किस्म बा.प्र. बाकै ग्राम चक लुचपुरी तहसील कुम्हेर
10. सम्पूर्ण को मय हकूक खातेदारी एवं काश्तकारी बाऐवज मुवलिग- 2,80,
11. 000/-रूपये अंकिन दो लाख अस्सी हजार रूपये में बदस्त श्री रतनसिहं

==2///

Scanned with OKEN Scanner

नाम. क्रम सं. 27021 16/1/13

मु० क्रेता का नाम तथा अमरसिंह S/o रतनसिंह जाट नि० रसोला कुम्हेर

मुद्रांक शुल्क 5000/2, 1000/4, 100/4 = 14400/-

प्रयोजन

उसके क्रय की दशा में होने का नाम

राजेश कुमार पिपलसिनवार
स्टाम्प विक्रेता कुम्हेर
मो० नं० 9712006-07

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN R 842114

12. शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान कुम्हेर जरिये सचिव श्री हरिओमसिंह तहसील कुम्हेर
13. जिला भरतपुर राज0 को कतई वयमाला कलाम कर दिया है यानि कि बेच
14. दिया है। जरै बेचान की कुल रकम 2,80,000/-रूपये मुझ विक्रेता ने उक्त
15. संस्था से वेरून अदालत प्राप्त कर ली है अब कोई रकम लेना शेष नही है।
16. कब्जा व दखल आराजी मुवईया पर दक्त संस्थान को दे दिया है। हर बार
17. किफालत से पाक साफ है। दीगर जगह रहन वय मुन्तकिल नही है। आराजी
18. मुवईया में मेरे सिवाय अन्य कोई दीगर व्यक्ति सहीम व सरीक नही है।
19. आराजी मुवईया की बाबत् यदि कोई दीगर व्यक्ति उज्रदारी दावेदारी
20. पैदा करेगा तो वह कतई वातिल व वेअसर ख्याल की जावेगी। आराजी -
21. मुवईया में जो हक हकूक मुझ विक्रेता को प्राप्त थे वो सारे हक हकूक वरोज
22. वयनामा से मिस्ल उक्त संस्थान को प्राप्त होंगे। अब उक्त संस्थान आराजी

===3//

Scanned with OKEN Scanner

8702
16/1/13

मैं आशिमा

राजेश कुमार सिनसिनवार
स्टाम्प विक्रेता, कुम्हेर
ला० नं० 0712006-07

आज दिनांक 16 माह January सन् 2013 को 16:25 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री AMAR SINGH पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RATAN SINGH
उम्र 68 वर्ष, जाति JAT व्यवसाय FARMER
निवासी SORUTA
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, KUMHER
(2013000189)
(Sale Deed (Conveyance deed))

रसीद नं0 2013000111 दिनांक 16/01/2013
पंजीयन शुल्क रू0 2890/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 300/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 1450/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 40/-
कुल योग रू0 4680/-

(2013000189) उप पंजीयक, KUMHER
(Sale Deed (Conveyance deed))

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN R 842113

29. तफसील 5000/2, 1000/4, 100/4 पर 33 लाईनों में बाहुरूस्ती होश

30. हवास, स्वस्थ चित्त, बिना किसी दबाब, बिना किसी नशे पत्ते के वहक

31 संस्थान को लिख दिया कि सनद रहे वक्त जरूरत समय पर काम आवे।

32. दस्तावेज लेखक :- हरपालसिहं रावत तहसील कुम्हेर दिनांक तहरीर:

33. 16.01.2013

16.01.2013

गवाह: राजेश कुमार उम्र 42 साल पुत्र श्री रामवीरसिहं जाट निवासी अबार

गवाह: संतोष कुमार पुत्र रोशनलाल सोनी उम्र 38 साल निवासी कुम्हेर

संतोष कुमार

राजेश कुमार

Scanned with OKEN Scanner

2702
16/1/13

मैं आशिष कुमार

राजेश कुमार सिनसिनवार
स्टाम्प विक्रेता, कुम्हेर
ला० नं० 07/2006-07

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 288750
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 40 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 2890 कुल रूपये 4680
जरिये रसीद संख्या 2013000111 दिनांक 16/01/2013
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 14440
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2013000189) उप पंजीयक, KUMHER
(Sale Deed (Conveyance deed))

आज दिनांक 16/01/2013 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 404
में पृष्ठ संख्या 179 क्रम संख्या 2013000146 पर
पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1006
के पृष्ठ संख्या 101 से 106 पर
चस्पा किया गया।

(2013000189) उप पंजीयक, KUMHER
(Sale Deed (Conveyance deed))

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

राजस्थान RAJASTHAN R 842112

23. मुवईया का दाखिल खारिज पटवार कागजात में अपने नाम इन्तकाल दर्ज
24. करा सकेगी। आराजी मुवईया का कोई कुल या जुज कब्जे संस्थान से निकल
25. जावेगा तो ~~व~~ संस्थान मेरी दीगर जाति जायदाद से अपनी रकम की -
26. भरपाई मयसूद मुनासिब रकम असल के वसूल कर सकेगी। आराजी मुवईया
27. आबादी ~~व/xxxx~~ से एक कि0 मी0 दूर है। नकल जमाबंदी सामिल है।
28. लिहाजा यह वयनामा 14,400/-रूपये के नॉन ज्यूडि0 स्टाम्प हस्व -

====4///

Scanned with OKEN Scanner

2702
16/1/13

मे आगमन है

राजेश कुमार मिनमिनवार
स्टाम्प विक्रेता कुम्हेर
ला० नं० 07/2006-07

	हस्ताक्षर	फोटो	अंगूठा
उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant) 1-AMAR SINGH/RATAN SINGH Age:68, Caste-JAT Ocu.-FARMER R/O-SORUTA			
(And Claimant) 1-RATAN SINGHSHIKSHAN PRISHIKSHAN SANSTHAN HARIOM SINGH/A Age:0, Caste- Ocu.-BUSSINESS R/O-KUMHER			
ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 280000/– पूर्व में/मेरे समक्ष/मे सें रू0 280000/–पूर्व में ———— यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।			
उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान 1. श्री/श्रीमती/सुश्री RAJESH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMVEER SINGH उम्र 42 वर्ष जाति JAT व्यवसाय FARMER निवासी AWAR			
2. श्री/श्रीमती/सुश्री SANTOSH KUMAR पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RAMESH CHAND SONI उम्र 38 वर्ष जाति SONI व्यवसाय FARMER निवासी KUMHER ने की है जिनके			
समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।			
(2013000189) उप पंजीयक, KUMHER (Sale Deed (Conveyance deed))			

Scanned with OKEN Scanner